



तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.05.2025	<p>अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) जोधपुर जिला (ग्रामीण) एवं श्रीमान जिला कलक्टर महोदय फलोदी के आदेश से पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में बैच के समक्ष प्रस्तुत हुई।</p> <p>वकील उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार उपस्थित। वकील उभय पक्ष के निवेदन पर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक इन्द्राज दाखिल दफतर हो।</p> <p>  सदस्य सहायक कलक्टर बाप (फलोदी) बाप (फलोदी) राष्ट्रीय लोक अदालत बैच संख्या ०५ </p> <p>  अध्यक्ष सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाप राष्ट्रीय लोक अदालत बैच संख्या ०५ </p>	

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :- सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :- 42/2024

दायर दिनांक :- 14.05.2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2024/83

निर्णय दिनांक :- 10.05.2025

1. जितेन्द्र पुत्र हरचन्द्रराम जाति विश्नोई निवासी पदमेतनगर तहसील बाप जिला फलोदी
2. देवाराम पुत्र हरचन्द्रनराम जाति विश्नोई निवासी पदमेतनगर तहसील बाप जिला फलोदी
3. पृथ्वीराज पुत्र हरचन्द्रराम जाति विश्नोई निवासी पदमेतनगर तहसील बाप जिला फलोदी
4. प्रकाश पुत्र हरचन्द्रराम जाति विश्नोई निवासी पदमेतनगर तहसील बाप जिला फलोदी
5. महीपाल पुत्र हरचन्द्रराम जाति विश्नोई निवासी पदमेतनगर तहसील बाप जिला फलोदी
6. मोहनराम पुत्र हरचन्द्रराम जाति विश्नोई निवासी पदमेतनगर तहसील बाप जिला फलोदी


—वादी

बनाम

1. हीराराम पुत्र रामलाल जाति विश्नोई निवासी पदमेतनगर तहसील बाप जिला फलोदी
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

—प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955



उपस्थित :- 1. श्री राजेन्द्रसिंह सोलकी अधिवक्ता वादी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

—:: निर्णय ::—

वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि ग्राम पदमेतनगर पटवार क्षेत्र राणेरी तहसील बाप में खसरा नम्बर 726 रकबा 6.4750 हैक्टेयर भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 की संयुक्त काश्त भूमि है जिसे वाद पत्र में वादग्रस्त भूमि से संबोधित किया गया है। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्से अनुसार कब्जा काश्त रहा है, वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ने उक्त वादग्रस्त भूमि का मौका पर आपसी सहमति से हिस्से माफिक बंटवाड़ा कर लिया था।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण सं. 1 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली में अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनकर ग्राम पदमेतनगर पटवार क्षेत्र राणेरी तहसील बाप में खसरा नम्बर 726 रकबा 6.4750 हैक्टेयर भूमि का हिस्सा अनुसार विभाजन प्रस्ताव लाने बाबत प्राथमिक डिक्री जारी की गई। तहसीलदार बाप द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दो प्रतियों में पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली अंतिम बहस में रखी गई।

तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि उनके द्वारा उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन कर लिया गया है तथा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव विधि सम्मत एवं माफिक इस्तदुआ होने से स्वीकार किया जावे साथ में यह भी कथन किया कि उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

के सम्बन्ध में कोई उजर एतराज नहीं है। प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिक डिक्री जारी किये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया गया एवं तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बाद मनन एवं अवलोकन पाया गया कि प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार तैयार कर तहसीलदार, बाप द्वारा पेश किया गया है। उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने हेतु अधिवक्ता वादीगण द्वारा भी इस्तदुआ की गई है। अतः तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत किये गये विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

क्रियात्मक आदेश

तहसीलदार बाप द्वारा राजस्व ग्राम पदमेतनगर पटवार क्षेत्र राणेरी तहसील बाप में खसरा नम्बर 726 रकबा 6.4750 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :-

क्र. स.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा/हैक्टेयर	किस्म
1	जितेन्द्र पुत्र हरचन्द्रराम 1/6, देवाराम पुत्र हरचन्द्रराम 1/6, पृथ्वीराज पुत्र हरचन्द्रराम 1/6, प्रकाश पुत्र हरचन्द्रराम 1/6, महीपाल पुत्र हरचन्द्रराम 1/6, मोहनराम पुत्र हरचन्द्रराम 1/6 जाति विश्नोई सा. मोडकिया खातेदार। रहन एस.बी.आई शाखा फलोदी में सभी का हिस्सा रहन	पदमेतनगर	726	3.2375 हैक्टेयर	बी-2
2	हीराराम पुत्र रामलाल जाति विश्नोई सा. देह मोडकिया खातेदार। रहन यूको बैंक शाखा बाप	पदमेतनगर	726	3.2375 हैक्टेयर	बी-2

तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग-अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लट्ठा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.05.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
 सहायक कलेक्टर एवं
 बाप (फलोदी) उपखण्ड अधिकारी
 बाप (फलोदी)

अंतिम डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्बा दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम बाप जिला फलोदी
पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

1. जितेन्द्र पुत्र हरचन्द्रराम जाति विश्नोई निवासी पदमेतनगर तहसील बाप जिला फलोदी
2. देवाराम पुत्र हरचन्द्रराम जाति विश्नोई निवासी पदमेतनगर तहसील बाप जिला फलोदी
3. पृथ्वीराज पुत्र हरचन्द्रराम जाति विश्नोई निवासी पदमेतनगर तहसील बाप जिला फलोदी
4. प्रकाश पुत्र हरचन्द्रराम जाति विश्नोई निवासी पदमेतनगर तहसील बाप जिला फलोदी
5. महीपाल पुत्र हरचन्द्रराम जाति विश्नोई निवासी पदमेतनगर तहसील बाप जिला फलोदी
6. मोहनराम पुत्र हरचन्द्रराम जाति विश्नोई निवासी पदमेतनगर तहसील बाप जिला फलोदी

-वादी

बनाम

1. हीराराम पुत्र रामलाल जाति विश्नोई निवासी पदमेतनगर तहसील बाप जिला फलोदी
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

-प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या 42/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी व हाजिर राजेन्द्रसिंह सौलकी मिनजानिब मुदई व मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिगरी दी जाती है कि राजस्व ग्राम पदमेतनगर पटवार क्षेत्र राणेरी तहसील बाप में खसरा नम्बर 726 रकबा 6.4750 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :-

क्र. सं.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा / हैक्टेयर	किस्म
1	जितेन्द्र पुत्र हरचन्द्रराम 1/6, देवाराम पुत्र हरचन्द्रराम 1/6, पृथ्वीराज पुत्र हरचन्द्रराम 1/6, प्रकाश पुत्र हरचन्द्रराम 1/6, महीपाल पुत्र हरचन्द्रराम 1/6, मोहनराम पुत्र हरचन्द्रराम 1/6 जाति विश्नोई सा. मोडकिया खातेदार। रहन एस.बी.आई शाखा फलोदी में सभी का हिस्सा रहन	पदमेतनगर	726	3.2375 हैक्टेयर	बी-2
2	हीराराम पुत्र रामलाल जाति विश्नोई सा. देह मोडकिया खातेदार। रहन यूको बैंक शाखा बाप	पदमेतनगर	726	3.2375 हैक्टेयर	बी-2

तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग-अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लट्टा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा। नीचे

मुतालिक बाबत् खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10.05.2025 को जारी की गई।



सहायक कलक्टर (सुखाराम पिण्डेल R.A.S.)
बाप (फलोदी) सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रुपया	पैसे	मुदायला	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।